



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय: लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ए-2/46,
विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

परिशिष्ट-IV-A[नियम 8(6) देखें]

अचल सम्पत्ति के बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्वोरिटाइजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पढ़ा गया। नोटिस जनता को दिया जाता है और विशेष रूप से ऋणी(ओं) और जमानतकर्ता(ओं) को दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति को गिरवी रखा गया है, प्रतिभूति लेनदार को चार्ज किया जाता है, जिसका कब्जा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जोकि सिक्वोर्ड क्रेडिटर है जिसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, "जो है जहां है, जैसा है" को नीचे दी गई तारीखों पर बेचा जाएगा।

क्र. सं.	ऋणियों/जमानतदारों एवं शाखा का नाम एवं पता	बकाया राशि मांग सूचना की तिथि	अचल सम्पत्तियों का विवरण		आरक्षित राशि (रु.)
			कब्जे का प्रकार		धरोहर राशि (रु.) बिड बढ़ोत्तरी राशि
1	मेसर्स विंडोज फैशन प्रोप. श्री सुमंत कुमार सिंह पुत्र श्री राम इकबाल सिंह (ऋणी) एवं श्री संजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव (जमानतकर्ता) एवं श्री हरि शंकर शर्मा पुत्र श्री देवी प्रसाद शर्मा (जमानतकर्ता) शाखा: भिटौली खुर्द	रु. 26,34,524.81 दिनांक 30.09.2019 से ब्याज एवं अन्य खर्च 07.01.2020	अचल संपत्ति के सभी भाग व खण्ड स्थित दुकान संख्या एस-6/249, आज़ाद मार्केट, इंदिरा नगर, फैजाबाद रोड, एचएएल के सामने, जिला-लखनऊ क्षेत्रफल: 16.302 वर्ग मीटर चौहद्दी: विलेख के अनुसार: पूर्व: दुकान संख्या एस-6/250, पश्चिम: रास्ता/बारामदा, उत्तर: रास्ता/बारामदा, दक्षिण: दुकान संख्या एस-6/248 वास्तविक के अनुसार: पूर्व: दुकान संख्या एस-6/250, पश्चिम: सड़क, उत्तर: सड़क, दक्षिण: दुकान संख्या एस-6/248		रु. 43,17,000/- रु. 4,31,700/- रु. 10,000/-
			भौतिक कब्जा		

ईएमडी जमा करने के लिए विवरण:-खाता सं. 002000200000034, IFSC Code BKID00ARYAGB खाता नाम- एमबीबी ट्रांजेक्शन जिसमें "ई-एमडी डिपोजिट" कार्यमार्क भी होना चाहिए या उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किये गये बैंक ड्राफ्ट के द्वारा।

2.	श्रीमती ज्योति राजपाल पत्नी स्व० प्रवीण राजपाल (ऋणी) एवं कु० हीना राजपाल पुत्री स्व० प्रवीण राजपाल (सह-ऋणी) एवं श्री आरिफ खान पुत्र श्री मोहम्मद इकराम खान (जमानतकर्ता) एवं श्री बीयर बहादुर पुत्र श्री स्व० नर बहादुर (जमानतकर्ता) शाखा: गुडम्बा	रु. 22,21,123/- दिनांक 28.11.2015 से ब्याज एवं अन्य खर्च 03.03.2017	अचल आवासीय संपत्ति के सभी भाग व खण्ड स्थित मकान संख्या 4/571, सेक्टर-एच, जानकीपुरम, जिला- लखनऊ क्षेत्रफल: 40.14 वर्ग मीटर चौहद्दी: विलेख के अनुसार: पूर्व: मकान संख्या 4/622, पश्चिम: 6.00 मीटर, उत्तर: 6.00 मीटर, दक्षिण: मकान संख्या 4/572 वास्तविक के अनुसार: पूर्व: मकान संख्या 4/622, पश्चिम: 6.00 मीटर, उत्तर: 6.00 मीटर, दक्षिण: मकान संख्या 4/572		रु. 27,73,000/- रु. 2,77,300/- रु. 10,000/-
			भौतिक कब्जा		

ईएमडी जमा करने के लिए विवरण:-खाता सं. 001500200000034, IFSC Code BKID00ARYAGB खाता नाम- एमबीबी ट्रांजेक्शन जिसमें "ई-एमडी डिपोजिट" कार्यमार्क भी होना चाहिए या उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किये गये बैंक ड्राफ्ट के द्वारा।

ई-नीलामी की दिनांक 15.10.2025 समय: प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक
बिड जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.10.2025 सायं 4:00 बजे तक

नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं

- ई-नीलामी "जो है जहां है, जो है जैसा है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर हमारे मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रक्योरमेंट टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के द्वारा संचालित की जायेगी।
- सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया, आस्तियों का विवरण सम्बन्धी दस्तावेज, ऑनलाइन ई-ऑक्शन बिड फार्म, घोषणा एवं अंडरटेकिंग फार्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम एवं शर्तें वेबसाइट- <https://sarfaesi.auctiontiger.net> पर उपलब्ध है। सम्पर्क:- श्री अभय कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक, मो. 9119601698, श्री विकास कुमार वर्मा, मो. 8601502537, श्री राम शर्मा, मो. 8000023297, हेल्प लाइन नं. 9265562818/9265562819/9265562821/079-6813 6842/6869 Email: support@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net पर सम्पर्क करें।

वैधानिक ब्याज प्रवर्तन नियम 2002 के अन्तर्गत (नियम 8(6)/नियम 9(1) वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

इसे ई-नीलामी बिक्री की होलिंग अंतर्गत उक्त ऋण के उधारकर्ता एवं जमानतकर्ता नियम को सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नोटिस के नियम 8(6)/नियम 9(1) के रूप में भी माना जा सकता है।

दिनांक: 13.09.2025, स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी